न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर)

मु0न0ः— 10/18 निर्णय दिनांकः—18.05.18

हनुमान पुत्र गंगाबिशन जाति मीना नि0 ठेकड़ा
बनाम
1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
2. भूरया पुत्र देव्या जाति मीना नि0 ठेकड़ा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

—ःनिर्णयः—

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के अपील संख्या 294/17 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भूरया पुत्र देव्या बनाम हनुमान पुत्र गंगाबिशन वगै0 में निर्णय दिनांक 08.01.18 की पालना में पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस न्यायालय में दिनांक 11.04.07 को इस आशय से पेश किया गया था कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि मुताबिक जमाबन्दी सं0 2036—39 के खाता संख्या 39 कुल किता 20 रकबा 67 बीघा में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा दर्ज था। जमाबन्दी संख्या 2041—44 के खाता संख्या 139 पर हनुमान पुत्र गंगाबिशन का हिस्सा 1/2 तथा भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/2 सहवन से दर्ज हो गया जिसे शुद्विपत्र दिनांक 18.06.92 एवं आदेश अतिरिक्त तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 20.07.92 के द्वारा प्रार्थी का हिस्सा 2/3 अंकन किया गया। बन्दोबस्त विभाग गत खसरा नम्बरान के कुल 36 खसरा नम्बर रकबा 16. 59 है0 बनाये तथा तथा जमाबन्दी संख्या 2062—65 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 तथा भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/2 दर्ज किये है जबकि प्रार्थी का हिस्सा 2/3 दर्ज होना चाहिए। जिसको दिनांक 30.03.11 को निर्णित कर दिया गया।

इस संबन्ध में तहसीलदार चौथ का बरवाडा का जवाब लिया गया जिसके अनुसार साबिक जमाबन्दी 2036 से 2039 में हनुमान पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 2/3 भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/3 सा.देह खातेदार दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2041—44 हनुमान पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/2 भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/2 सहवन से दर्ज हो गया जिसे जरिये शुद्विपत्र दिनांक 18.06.92 द्वारा हनुमान पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 2/3 व भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/3 किया गया। अतः ग्राम ठेकड़ा की साबिक जमाबन्दी 2036—2039 व 2041— 2044 अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074—77 के खाता संख्या 184 किता 36 रकबा 16.95 है0 में हनुमान पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/2 भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/2 की बजाय हनुमान पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 2/3 भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/3 शुद्व किया जाना उचित है। अपीलार्थी भूरया पुत्र देव्या द्वारा बार—बार अवसर दिये जाने पर भी कोई दस्तावेज, साक्ष्य, मौखिक, लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब का अवलोकन किया। वकील ~~वादी~~ प्रार्थी एवं तहसीलदार को सुना गया। गत एवं हाल रिकॉर्ड के अवलोकन से सिद्व होता है कि प्रार्थी के वर्तमान रिकॉर्ड में हिस्सा का अंकन त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ठेकडा के खाता संख्या 184 इस प्रकार शुद्व करने के आदेश दिये जाते है कि हनुमान पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 2/3 एवं भूरया पुत्र देव्या हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे। तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील फेसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा